न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /40/2024

अधीक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग भरतपुर, वृत भरतपुर, जिला भरतपुर .....अपीलार्थी

बनाम

1—आयुक्त, नगर निगम भरतपुर
2— तहसीलदार भरतपुर .....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर बाबत नामान्तकरण संख्या 1552 दिनांक 6.5.2022 बाके कस्बा भरतपुर चक नं. 3 तहसील भरतपुर।

———

उपस्थितः—
1—अपीलान्ट प्रतिनिधि उपस्थित
2—श्री पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर, अभिभाषक रेस्पो,नं.1
3—पैरोकार सरकार

दिनांक 10.01.2025

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ नामान्तकरण संख्या 1552 दिनांक 6.5.2022 बाके कस्बा भरतपुर चक नं. 3 तहसील भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1552 दिनांक 06.05.2022 नगर निगम, भरतपुर के हक में तहसीलदार भरतपुर ने स्वीकार किया है। उक्त नामान्तकरण से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13.12.2024 को पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट की ओर से प्रतिनिधी उपस्थित। रेस्पो. नं.1 की ओर से अभिभाषक पुष्पेन्द्र सिंह गुर्जर उपस्थित आये तथा रेस्पो. 2 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलान्ट की ओर से उपस्थित प्रतिनिधी ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन नामान्तकरण में अंकित करीब 83 खसरा नम्बरान पर नगर निगम भरतपुर की खातेदारी दर्ज कर दी है,

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

जब कि कुछ खसरा नम्बरान जो किले के आस पास स्थित हैं वे पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की भूमियॉ हैं उन पर भी नगर निगम की खातेदारी दर्ज कर दी है, जो गलत है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की भूमियों पर नगर निगम भरतपुर को किसी भी प्रकार से खातेदारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की भूमियों के बारे में पटवारी हल्का से जानकारी करने पर पता चला कि सारी भूमियॉ नगर निगम के नाम दर्ज हो चुकी है। तब जाकर नकल वगे0 लेकर अपील पेश की गई है। अपील की देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील की देरी को माफ करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे। नियम विरुद्ध पारित अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1552 दिनांक 6.5.2022 को निरस्त किया जावे।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 नं. 1 ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अगर अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1552 दिनांक 6.5.22 में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की भूमियों पर भी नगर निगम की खातेदारी दर्ज कर दी गई है तो उन्हे निरस्त कर, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की भूमियों पर उनके नाम खातेदारी दर्ज किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

पैरोकार सरकार रेस्पो. संख्या–2 ने बताया कि अपीलाधीन नामान्तकरण उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के आदेश से दर्ज किया गया है। अगर अपीलाधीन नामान्तकरण में सहवन से पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की भूमियों पर भी नगर निगम भरतपुर को खातेदार दर्ज कर दिया गया है तो गलत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया। देरी को माफ करने के लिये अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र धारा–5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। म्याद के सन्दर्भ में आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

> " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्त नज़ीरों की परिप्रेक्ष्य में अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये, अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1552 दिनांक 6.5.2022 का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण में अंकित करीब 83 खसरा नम्बरान पर नगर निगम भरतपुर के नाम खातेदारी दर्ज कर दी गई है। अपीलान्ट का कहना है कि कुछ खसरा नम्बरान जो किले के आस पास स्थित हैं वे पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की भूमियॉं हैं उन पर भी नगर निगम की खातेदारी दर्ज कर दी है जब कि ऐसा नहीं होना चाहिये था। भरतपुर किले के आस पास पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की महत्वपूर्ण भूमियों पर नगर निगम भरतपुर की खातेदारी दर्ज किया जाना गलत है। अपीलाधीन नामान्तकरण 1552 के अन्त में अंकित नोट जो इस प्रकार है :–

> ".....ऑनलाइन नामा. सं. 1552 दिनांक 06.05.22 पर मुताबिक आदेश कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर क्रमांक /पी0ए0/2022/778 दिनांक 01.04.22 एवं तहसील कार्यालय आदेश क्रमांक राजस्व/22/371–78 दिनांक 08.04.22 की पालना में न्याय. आदेश का नामा. दर्ज कर वास्ते जांच एवं फैसल हेतु पेश है..... ।"

उक्त अंकित नोट से जाहिर है कि यह नामान्तकरण उखण्ड अधिकारी भरतपुर के पत्र क्रमांक /पी0ए0/2022/778 दिनांक 01.04.22 की पालना में दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के उक्त आदेश दिनांक 8.4.22 का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर ने नगरीय निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत मौजूद राजकीय सिवायचक भूमियों को संबधित नगरी निकायों (नगर विकास न्यास/नगर निगम) के पक्ष में नामांतकरण कर शीध्र हस्तांरित किये जाने हेतु तहसीलदार भरतपुर को लिखा गया है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.6(9)रेव–6/96 पार्ट/39 राजस्व (ग्रुप–6)विभाग जयपुर दिनांक 8.12.2010 में दिये गये प्रावधानों का अवलोकन किया गया। अधिसूचना की बिन्दू संख्या–2 में स्पष्ट किया है जो इस प्रकार है :–

> ".....सरकारी भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यासों या यथास्थिति नगरपालिकाओं द्वारा राज्य सरकार को भू–राजस्व के चालीस गुने के समतुल्य भूमि के पूंजीकृत मूल्य के संदाय पर स्थानान्तरित की जायेगी..... ।"

इस प्रकार अधिसूचना की बिन्दू सख्या–2 से स्पष्ट है कि नगर सुधार न्यासों यथास्थिति, नगर पालिकाओं की नगर योग्य सीमाओं के भीतर आने वाली समस्त सरकारी भूमियां, राज्य सरकार को भू–राजस्व के चालीस गुने के समतुल्य भूमि के पूंजीकृत मूल्य के संदाय पर नगर सुधार न्यासों या यथास्थिति नगरपालिकाओं को स्थानान्तरित की जायेगीं।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

तहसीलदार भरतपुर द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण 1552 दिनांक 6.5.2022 स्वीकृत करने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ. 6(9)रेव–6/96 पार्ट/39 राजस्व (ग्रुप–6)विभाग जयपुर दिनांक 8.12.2010 में दिये गये प्रावधानों की पालना करने का कोई उल्लेख नामान्तकरण में नहीं है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नामान्तकरण संख्या 1552 में दर्ज खसरा नम्बरान के साथ भरतपुर किले के आस पास पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की महत्वपूर्ण भूमियों पर भी नगर निगम भरतपुर को खातेदार दर्ज कर दिया है जो गलत है। यानि तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1552 दिनांक 6.5.2022 विधी विरुद्ध स्वीकार किया गया है, जिसे हम समर्थन योग्य नहीं पाते हैं। अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1552 दिनांक 6.5.2022 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर